मुस्लिम बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देगा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) के उस निर्णय को चुनौती देने की अपनी योजना की घोषणा की है, जिसमें **तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं** को **'इद्दत' अवधि** के **बाद भरण-पोषण** का दावा करने की अनुमति दी गई है।

- बोर्ड, उत्तराखंड में नव अधिनियमित समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) कानून को भी चुनौती देने का इरादा रखता है।

मुख्य बिंदु:

- ये निर्णय कार्यसमिति की बैठक के दौरान लिये गए, जिसके तहत आठ प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई
- इनमें से एक प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय से संबंधित है, जो **शरिया कानून** का खंडन करता है।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC) की धारा 125 **मुस्लिमों सहित सभी विवाहित महिलाओं पर लागू** होती है।
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि **भारतीय पुरुषों को संयुक्त खाते और ATM तक निर्बाध पहुँच** जैसी अटूट **वित्तीय सहायता** प्रदान करके गृहणियों के महत्त्व को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिये।
- बोर्ड इस बात पर प्रकाश डालता है कि विविधता हमारे देश की पहचान है, जो **संविधान** द्वारा संरक्षित है। समान नागरिक संहिता (UCC) का उद्देश्य संवैधानिक और धार्मिक दोनों स्वतंत्रताओं को चुनौती देते हुए इस विविधता को मिटाना है
- विधिक समिति उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून **को चुनौती देने की तैयारी कर रही है।**

CrPC की धारा 125

- CrPC की धारा 125 के अनुसार, **प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पर्याप्त साधन संपन्न किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के भरण-पोषण के लिये मासिक भत्ता देने का आदेश** दे सकता है:
- उसकी पत्नी, यदि वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
- उसकी वैध या अवैध नाबालिग संतान, चाहे वह विवाहित हो अथवा नहीं, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है
- उसकी वैध या अवैध नाबालिग संतान जो शारीरिक या मानसिक विकृतियों अथवा आघात के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
- उसका पिता या माता, खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

इद्दत अवधि

- एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से **उचित एवं न्यायसंगत भरण-पोषण पाने की हकदार** है, जिसका भुगतान **इद्दत अवधि** के भीतर किया जाना चाहिये।
- **इद्दत एक अवधि है, जो आमतौर पर तीन महीने की होती है,** जिसे एक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद दोबारा शादी करने से पहले मनाना होता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/muslim-board-to-challenge-sc-ruling